[illegible]

12.3.22 पत्रावली आज साहब के समक्ष पेश हुई। वादीया मय पं. मोहनलाल उप. है। तहसीलदार सुरेन्द्र सिंह व तेजपाल सिंह के शपथ पत्र दि. 29.12.21 मय रिपोर्ट पटवारी संगोद, रिपोर्ट पेशकार मय [illegible] प्रार्थना पत्र प्रस्तुत दस्तावेजात आधारकार्ड, राशनकार्ड के आधार पर [illegible], वादी की स्वीकार किया जाता है, [illegible] [illegible] जारी [illegible] किया जावे। पत्रावली [illegible] [illegible] बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

TDR

Check [illegible]

बाद स्वीकार [illegible] होने [illegible] स्वीकार है

ह. तहसीलदार

सुरेन्द्र सिंह

तेजपाल सिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.18 11:27:28 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 156 / 2021 तारीख दायरा 29.12.2021

उनवान

लक्ष्मीबाई पत्नी स्व0 योगेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी चोबियो का मौहल्ला सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान। – वादी

बनाम

राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब सांगोद। – प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. एक्ट

उपस्थित :–

श्री सुशील कुमार शर्मा (वकील वादीगण) दिनांक :– 12.03.2022

श्री सरकार पैरोकार

––निर्णय––

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता इस आशय का वाद प्रस्तुत किया कि वादिनी के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम सांगोद पटवार हलका सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता स0 नई 595 के खसरा न0 1426 की 0.93 हैक्टर व खसरा न0 1427 की 0.10 हैक्टर कुल 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.18 11:27:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

किता की 1.03 हैक्टर आराजीयात स्थित है तथा माल ग्राम सांगोद पटवार हलका सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा मे खाता स0 नई 477 के खसरा न0 1412 की 1.00 हैक्टर व खसरा न0 1416 की 0.10 हैक्टर कुल किता 2 की कुल 1.10 हैक्टर आराजीयात स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात ग्राम सांगोद के खाता स0 नई 477 की आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादिनी का नाम मांगीबाई पत्नी योगेन्द्र सिंह अंकित है तथा खाता स0 नई 595 की आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में वादिनी का नाम लक्ष्मीबाई पत्नी योगेन्द्र सिंह है। उक्त दोनों नाम वादिनी के ही है तथा उक्त आराजी वादिनी के शांति पूर्वक कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में चली आ रही है। वादिनी का घर का बोलता नाम मांगीबाई है तथा वादिनी को परिवार के लोग व रिश्तेदार सभी मांगीबाई के नाम से ही पुकारते हैं जिसके कारण इन्तकाल न0 433 दिनांक 27.11.2007 को खोलते समय वादिनी के परिवारजन द्वारा घर का बोलता नाम मांगीबाई लिखवा दिया गया, जिसके कारण माल ग्राम सांगोद के खाता स0 नई 477 के राजस्व रेकार्ड में वादिनी का नाम मांगीबाई पत्नी योगेन्द्र सिंह दर्ज हो गया। इसी प्रकार वादिनी की अन्य आराजी खाता स0 नइ 595 के राजस्व रेकार्ड में वादिनी का नाम पहचान के दस्तावेज आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र आदि के आधार पर वादिनी के प्रचलित नाम लक्ष्मीबाई पत्नी योगेन्द्र सिंह दर्ज हो रहा है। वादिनी का वास्तविक नाम लक्ष्मीबाई होने की पुष्टि वादिनी के खाते की अन्य आराजी ग्राम सांगोद की खाता स0 नई 595 के राजस्व रेकार्ड व पहचान के दस्तावेजों से होती है। वादिनी को मांगीबाई व लक्ष्मीबाई दोनों ही नामो से जाना जाता है, उक्त दोनों नाम मुझ वादिनी के हैं तथा पहचान के दस्तावेज व अन्य रेकार्ड में वादिनी का वास्तविक व प्रचलित नाम [illegible] दर्ज होने से वादिनी को अपने हिस्से व खाते की आराजी का विक्रय कार्य करने में काफी परेशानी का सामना करना पडता है और पहचान पत्र में भिन्न नाम होने से वादिनी को कृषि ऋण व

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.18 11:47:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

अनुदान सहायता राशि भी प्राप्त करने से वंचित रहना पड रहा है। वादिनी द्वारा अपने उक्त घर के बोलते नाम मांगीबाई के स्थान पर लक्ष्मीबाई दर्ज करने हेतु पटवारी हलका से निवेदन करने पर उनके द्वारा वादिनी के घर के नाम के स्थान पर प्रचलित नाम दर्ज करने से मना कर देने से वादिनी के लिए माननीय न्यायालय मे उक्त नाम दुरस्ती हेतु वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है, जिसके लिए उक्त वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

उक्त वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। वादिनी द्वारा अपना शपथ पत्र बयान प्रस्तुत किया गया व अन्य सहखातेदार के बयान शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये। दिनांक 12.03.2022 को पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में रखी गई। तहसीलदार सांगोद द्वारा पटवारी रिपोर्ट के आधार पर वाद स्वीकार करने पर सहमति व्यकत की। बहस वकील वादिनी सुनी जाकर पत्रावली का पर उपलब्ध दस्तावेज, रेकार्ड, जमाबंदी, पटवारी रिपोर्ट आदि का गहनता से अवलोकन करने पर वाद वादिनी स्वीकार किया जाने योग्य पाऐ जाने से स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिये जाते हैं कि –

माल ग्राम सांगोद पटवार हलका सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा मे खाता स0 नई 477 के खसरा न0 1412 की 1.00 हैक्टर व खसरा न0 1416 की 0.10 हैक्टर कुल किता 2 की कुल 1.10 हैक्टर आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में दर्ज वादिनी के घर के बोलते नाम मांगीबाई के स्थान पर वादिनी के वास्तविक नाम लक्ष्मीबाई पत्नी योगेन्द्र सिंह किये जाने की घोषणा की जाती है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। विवादित आराजी पर भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज पृथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.18 11:27:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्टेट
सांगोद (कोटा)

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 12.03.2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.18 11:27:28 IST
Reason: SelfAttested